संख्या- 5/2017/432/30-3-17-05बी/2016

प्रेषक,

मुहम्मद अखलाक खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 24 मार्च, 2017

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 31-08-2015 में अनुमोदित फिटनेस पिट के निर्माण हेतु दूसरी किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-178/स0सु0/2016-06प्रा0वि0-2015, दिनॉक 14-02-2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के नियम-7 में उल्लिखित "कोष प्रबन्धन समिति" की बैठक दिनॉक 31-08-2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार- संभागीय परिवहन कार्यालय-देवीपाटन (गोण्डा) तथा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय-श्रावस्ती, संतकबीरनगर, इलाहाबाद, महोबा, पीलीभीत, बलिया, मीरजापुर, मथुरा व कासगंज में उपलब्ध भूमि पर फिटनेस पिट के निर्माण, प्रति फिटनेस पिट रू0 17.26 लाख की दर से कुल धनराशि रू0 172.60 लाख (रू0 एक करोड़ बहत्तर लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि की प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 86.30 लाख (रू0 छियासी लाख तीस हजार मात्र) की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2016-17 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ मात्र) से फिटनेस पिट के निर्माण हेतु दूसरी किश्त की धनराशि रू0 86.30 लाख (रू0 छियासी लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए तथा उक्त धनराशि को अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु पूर्व से नामित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ से परिवहन आयुक्त उ0प्र0 द्वारा अनुश्रवण करते हुए प्रश्नगत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(5) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(6) परियोजना का निर्माण कार्य एक वर्ष के अन्दर ही पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(7) निरीक्षक कक्ष एवं फिटनेस पिट के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-2057/30-3-13-20बी/2013, दिनॉक 03-09-2013 में मानकीकरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद अखलाक खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या-5/2017/432(1)/30-3-2017, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन कार्यालय-देवीपाटन (गोण्डा) तथा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय-श्रावस्ती, संतकबीरनगर, इलाहाबाद, महोबा, पीलीभीत, बलिया, मीरजापुर, मथुरा व कासगंज।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, बायां तट, गोमतीनगर, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in